

नोटिस

न्यायालय / कार्यालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़

पत्रांक: 178/वि0उप0व्य0नि0फो0आ0/2019

दिनांक 09.08.2019

श्रीमती मंजू वर्मा पत्नी अरुण कुमार वर्मा, मुहल्ला-एलवल, पोस्ट व तहसील-सदर,
जनपद-आजमगढ़।.....परिवादिनी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(प्रथम), आजमगढ़।.....विपक्षी नं० 1
शत्रूधन यादव, अवर अभियन्ता, विद्युत उपकेन्द्र रैदोपुर, आजमगढ़।.....विपक्षी नं० 2

परिवादी (श्रीमती मंजू वर्मा पत्नी अरुण कुमार वर्मा) आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिनांक 24.08.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

प्रतिवादी (अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(प्रथम), आजमगढ़।) को इस संबंध में विद्युत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.08.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि०, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 9.8.2019 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी

दिनांक: 9/8/2019



विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,
आजमगढ़ (उ०प्र०)

EE-ED.D - 1. Anagath